नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/23	प्रपत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 21/4/23 को पेश हो।	
21/4/23	प्रपत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 30/5/23 को पेश हो।	
30/5/23	प्रपत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 13/6/23 को पेश हो।	
13/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप तहसीलदार उच्चैन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। विभाजन प्रस्ताव को न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिस पर उभयपक्ष के अधि० द्वारा सहमति प्रदान की गई। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली हो। पत्रा० वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27/6/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	
27/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उप तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। व विभाजन प्रपत्र में लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

इजलास श्री योगेन्द्र सिंह (RAS)

रमेश बनाम शिवचरन वगैरह

दावा बाबत 53,188 RTA

मुकदमा नं. 131 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री सचिन शर्मा एड0 मिनजानिब श्री मुकेश चन्द शर्मा एड0

मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादी का वाद आपसी समझौते के आधार पर मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। कुर्रे रिपोर्ट डिक्री का भाग रहेगी।

आज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 06 वर्ष 2023

को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर) राज.

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर........		
महनताना वकील)पर........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री जोगेन्द्र सिंह(आर.ए.एस)

वाद कमांकः– 131 / 2022

1. रमेश पुत्र गजाधर
2. कैलाप्रसाद पुत्र गजाधर

जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

..............................वादी

बनाम

1. शिवचरन पुत्र गजाधर जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
2. प्रभावती पत्नि रमेश चंद जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर राज

..............................प्रतिवादी

दावा बाबत् विभाजन एवं अस्थाई निषेधज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री जोगेन्द्र सिंह(आर.ए.एस)
वाद कमांकः– 131 / 2022

1. रमेश पुत्र गजाधर
2. कैलाप्रसाद पुत्र गजाधर

जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

..............................वादी

बनाम

1. शिवचरन पुत्र गजाधर जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
2. प्रभावती पत्नि रमेश चंद जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार उच्चैन जिला भरतपुर राज

..............................प्रतिवादी

दावा बाबत् विभाजन एवं अस्थाई निषेधज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थितिः–
1. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट
2. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः–

वादी के द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 / 1.77, 248 / 0.01, 249 / 1.59, 268 / 0.73, 290 / 0.86, 526 / 0.01, 527 / 0.93, 537 / 1.36, 575 / 0.22,580 / 0.68, 581 / 0.19, 582 / 0.07, 608 / 0.09, 332 / 1.09 बाकै ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन के वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार काश्तकार है व मौके पर सभी अभी तक सम्मिलित काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अब सामिल काश्त करने में प्रतिदिन झगणा होता रहता है। इसलिए आराजी का वादी व प्रतिवादी के मध्य वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रतिवादी विवादित आराजी को वादी के काश्त करने में झगडा करता है व आराजी से प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर तुला हुये है व शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देता है प्रतिवादी दिनांक 25.08.2022 को मौके पर आ गये तथा विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने लगा व आराजी पर जबरन कब्जा करने लगा लेकिन वादी के विरोध के कारण उस रोज प्रतिवादी विवादित आराजी से वादी को बेदखल नहीं कर सका लेकिन प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी वे विवादित आराजी को किसी दीगर शख्स को रहन वय कर देंगे तथा विवादित आराजी से वादी को बेदखल कर देंगे उक्त धमकी से व्यथित होकर वादी ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.10.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये एवं विवादित आराजी पर प्राथमिक डिकी हेतु दिनांक 14.02.2023 को सहमति प्रदान की गई। दिनांक 13.06.2023 को तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा सहमती प्रदान की गई। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अन्तिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त कुरे रिपोर्ट निम्नानुसार है

1. रमेश पुत्र गजाधर कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 249/1/0.55, 268/1/0.48, 290/1/0.56, 582/0.07, 575/0.22, 608/0.09, 581/1/0.06, 526/0.01, 527/1/0.27, 537/1/0.45 कुल किता 10 कुल रकवा 2.76 है0।
2. कैलाप्रसाद पुत्र गजाधर कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 154/1.77, 268/2/0.25, 290/2/0.30, 332/1/0.54, 527/2/0.32, 537/2/0.49 कुल किता 6 कुल रकवा 3.67 है0।
3. शिवचरन पुत्र गजाधर कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 248/0.01, 249/2/1.04, 581/2/0.13, 580/0.68, 527/3/0.34, 537/3/0.42 कुल किता 6 कुल रकवा 2.62 है0।
4. प्रभावती पत्नी रमेशचन्द कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 332/2/0.55 कुल किता 1 कुल रकवा 0.55 है0।

अतः आदेश है कि वादी का बाद आपसी सहमति के आधार पर मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिकी किया जाता है। कुरे रिपोर्ट डिकी का जुज रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जोगेन्द्र सिंह(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर